जेपीआर–5–306

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(वाणिज्यिक शाखा)

क्र0जेपीडी/उमुअ(सीपीएण्डआरई)/अधी.अभि.(वा0)/पत्रा.सी.।/एफ.4(210)पार्ट–X/प्रे0 2147 दि0 23.11.05

आदेश

विषय – कृषि कनेक्शन में जले हुए मीटर के मामलों में वी.सी.आर. भरने के विषय में।

यह ध्यान में लाया गया है कि विजिलेन्स चैकिंग अधिकारी कृषि कनेक्शनों में जले हुए मीटरों के मामले में भी विद्युत चोरी के केस बनाते हैं जिससे किसानों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इस विषय पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में जहां किसान का मीटर जला हुआ हो (एक या दो फेस नहीं आ रहे हों या तीनों फेस नहीं आ रहे हों) तथा कृषक द्वारा लिखित में सहायक अभियन्ता कार्यालय में सूचना देते हुए मीटर की कीमत जमा कराने के पश्चात सहायक अभियन्ता जले हुए मीटर को तुरन्त बदलने की कार्यवाही करेंगे। मीटर की कीमत जमा कराने के पश्चात जले हुए फेस को उपभोक्ता द्वारा डाइरेक्ट कर लिये जाने पर सतर्कता जांच के दौरान चोरी का मामला नहीं बनाया जाये। ऐसे मामलों में टी.सी.एस. –2004 के अनुच्छेद–27 के अन्तर्गत निगम के पूर्व आदेश क्र0 1655 दिनांक 23.11.04 (जेपीआर5–237) के अनुसार फ्लेट रेट के चार्जेज वसूल करने चाहिए एवं विद्युत चोरी का मामला नहीं बनाया जाये।

उपरोक्त आदेश, पूर्व में जारी आदेश क्र0 2082 दिनांक 10.11.05 (जेपीआर5–302) को निष्प्रभावी (Supersede) करते हुए जारी किये जाते हैं।

उप मुख्य अभियन्ता(सी.पी.एण्ड आर.ई.)

my documents/SE.Comml.